

को अन्ना जगदल... उन नियमित अर्थात वाले  
अभ्यर्थियों के द्वारा जो उन जगदलों के लिये  
उपरोक्त शासनपत्रों द्वारा रखी हुई पदों को भरे  
जाने के उद्देश्य से जाये। इस हेतु उप शिक्षा  
निदेशक उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश,  
मध्य प्रदेश को अर्थात शिक्षा जगदल है कि वे अन्य  
जगदलों से नियमित अर्थात प्राप्त अभ्यर्थियों के  
द्वारे में सुझाव प्राप्त कर उनके आवेदन पत्र पत्र  
हेतु दूसरे जगदलों को भेजे जाय कि पद रिक्त रह  
गये है। यह प्रयास किया जायेगा कि दूसरे जगदलों  
के लिये जो अभ्यर्थी हैं तब लिये जाय वे यथा संभव  
उसके नजदीक के ही जगदलों के हों।

121 उपरोक्त शासनपत्र दिनांक 19-10-84 द्वारा  
परिष्कारित जूनियर हाई स्कूलों के लिये सृजित पदों  
को भरणार्जन / नियुक्तियों द्वारा भरे जाने के  
फलतः परिष्कारित प्राइमरी स्कूलों में उर्दू के सहायक  
अध्यापकों के जो पद रिक्त हो जाय उनसे से यदि कुछ  
या सभी पद उत्तर प्रदेश के शिक्षा निदेशक एवं  
शिक्षा निदेशक, 1981 में नियमित शिक्षक एवं  
प्रशिक्षण अर्थात प्राप्त अभ्यर्थियों की अनुपस्थिता  
के कारण न भरे जा सके तो जो पदों को नियुक्त  
श्रेणी के व्यक्तियों से उर्दू दृष्टि में जो नीचे दिये गया है,  
भरे जा सकते हैं और इन में श्रेणियों से नियुक्त किये  
गये व्यक्तियों को अप्रशिक्षित अध्यापक का बतनादि  
अनुगन्ध होगा :-

- 1क। उर्दू विज्ञान से माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर-  
प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा/राज्य सरकार  
द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा  
उत्तीर्ण व्यक्ति जिसे आज इंडिया तास्वीगदर  
उत्तर प्रदेश द्वारा समाजिक माटीरिओ कोर्स पूर्ण  
कर लिया हो।

1ख। उर्दू विज्ञान से माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर-  
प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या राज्य सरकार  
द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा  
उत्तीर्ण व्यक्ति।

2- उपरोक्त अप्रशिक्षित व्यक्तियों को नियुक्ति देने के बाद उन्हें पद्याशीघ्र  
पत्रोपार कोत द्वारा या अन्य प्रकार से सीप्लोपरीओ प्रशिक्षण देलाया जावेगा।